

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 33/2020

निर्णय दिनांक - 17.06.2020

उकार लाल पिता भवरलाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

- प्रार्थी

// वनाम //

1. शोभाराम पिता प्यारचन्द जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. श्रीराम पिता प्यारचन्द जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. छोगालाल पिता गंगाराम जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. रामप्रसाद पिता चम्पालाल जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
5. कमलेश पिता चम्पालाल जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
6. जगदीश पिता भगवानलाल जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
7. सीताराम पिता भगवानलाल जी जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
8. रमेश पिता रतनलाल जी जाति गायरी उग्र वयस्क निवासी डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा डला उर्फ किशनपुरा पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 10 की आराजी नं0 201 रकवा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 202 रकवा 0.2200 हैक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 300/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा डला उर्फ किशनपुरा पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 10 की आराजी नं0 201 रकवा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 202 रकवा 0.2200 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 17.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

1101

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेडा

निम्बाहेडा (राज.)



Scanned with Cam

